

उपखण्ड अधिकारी रामसर
श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 87 / 2025
उनवान

1. बरकत अली पुत्र आलम जाति
मुसलमान निवासी देरासर
तहसील रामसर।
- बनाम
1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज०मू०राज० अधिनियम
आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री बरकत अली पुत्र आलम जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर में स्वयं नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 43 खसरा नंबर 147/71 रकबा 18.1299 हेक्टैयर किस्म बा.दो. मौजा लाबराउ पटवार मण्डल सियाणी में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्री बरकत अली पुत्र आलम जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर की जगह बरकततुला पुत्र आलम जाति मुसलमान भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड तथा जनाबंदी ऑनलाईन करते समय बरकततुला पुत्र आलम जाति मुसलमान दर्ज हो गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम श्री बरकत अली पुत्र आलम जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 43 खसरा नंबर 147/71 रकबा 18.1299 हेक्टैयर किस्म बा.दो. मौजा लाबराउ पटवार मण्डल सियाणी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्री बरकत अली पुत्र आलम जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।



यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 09.04.2025

क्रमांक : शहर/2025/ 461-62
प्रतिदर्शित
1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी बरकत अली पुत्र आलम।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर